न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर

बइजलांस – श्री अशोक कुमार चौधरी आर.ए.एस.
मुकदमा नं. 32/2019

प्रार्थी :–

श्रवणसिंह पुत्र बक्षुसिंह जाति राजपूत निवासी किनसरिया तहसील परबतसर

अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार परबतसर
2. गणपत पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी बिदियाद तहसील परबतसर

वकील प्रार्थी – श्री गजराज चौहान उपस्थित
वकील अप्रार्थी– श्री प्रेमाराम बुगालिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम किनसरिया की राजस्व सीमा में खसरा नं. 252 रकबा 0.0200 हैक्टर खसरा नम्बर 253 रकबा 1.2920 हैक्टर, जमीन आई हुई है। जिसके पुराने नम्बर 449 रकबा 0.02 बीघा तथा खसरा नम्बर 450 रकबा 8.00 बीघा जमीन स्थित है। प्रार्थी ने पुराने खसरा नम्बर 282, 282/1 की जमीन में ये अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान गणपतराम पुत्र सांवताराम क़ौम जाट निवासी बिदियाद को किया था जो नामान्तकरण संख्या 552 के जरिये खातेदारी इन्द्राज गणपतराम के नाम हुआ। सेटलमेन्ट विभाग की गलती से खसरा नं. 449, 450 (नये खसरा नम्बर 252, 253) में भी प्रार्थी श्रवणसिंह पुत्र बक्षुसिंह के बजाय गणपतराम पुत्र सांवताराम का नाम अंकित हो। प्रार्थी ने ग्राम किनसरिया के खसरा नं. 252, 253 का किसी तरह से जमीन का बेचान नही किया था, जो सेटलमेन्ट विभाग की गलती से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड से हट गया। इसलिए प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी खसरा नम्बर 252, 253 में गणपतराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी बिदियाद के स्थान पर प्रार्थी श्रवणसिंह पुत्र बक्षुसिंह जाति राजपूत निवासी किनसरिया के नाम की रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। ग्राम किनसरिया की राजस्व जमीन खसरा नम्बर 252, 253 में गणपतराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी बिदियाद के स्थान पर प्रार्थी श्रवणसिंह पुत्र बक्षुसिंह जाति राजपूत निवासी किनसरिया की रेकर्ड दुरूस्ती करने की कृपा फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का पेश कर गणपतराम पुत्र सावताराम जाति जाट निवासी बिदियाद जो आवश्यक पक्षकार होने से बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित शीर्षक शा.मि. किया गया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील प्रेमाराम बुगालिया द्वारा वकालतनामा पेश किया शा.मि. किया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा वाईज जबाब पेश कर

कथन किया गया है कि ग्राम किनसरिया के खसरा सं. 252, 253 जिसके पुराने नम्बर 449, 450 में से मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर प्रार्थी का नाम की रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो मुझे कोई एतराज नही है। अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत जबाब स्वीकार किया जाकर सेटलमेन्ट की गलती से प्रार्थी श्रवणसिंह पुत्र बक्षुसिंह का नाम हट गया है तथा गणपतराम पुत्र सांवताराम का नाम इन्द्राज हो गया है जिसे हटाया जाकर प्रार्थी का नाम दर्ज कर रेकर्ड की दुरूस्ती होनी है। जबाब शा.मि. किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण के इकबालिया जबाब एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से मौजा किनसरिया के खसरा संख्या 252 एवं 253 में से सेटलमेन्ट विभाग की गलती से श्रवणसिंह पुत्र बक्षुसिंह का नाम हट गया एवं उसके स्थान पर गणपतसिंह पुत्र सांवताराम का नाम इन्द्राज हो जाना साबित होता है। जो अप्रार्थी सं. 2 द्वारा स्वीकार किया गया है। मौजा किनसरिया के खसरा सं. 252 व 253 में गणपतसिंह पुत्र सांवताराम के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र बक्षुसिंह अंकित किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेशित किया जाता है मौजा किनसरिया के खसरा सं. 252 व 253 के राजस्व रिकार्ड में गणपतसिंह पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी बिदियाद के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र बक्षुसिंह जाति राजपूत निवासी किनसरिया अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर